संख्याः 1421/VII-II-11/493–उद्योग/2007

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
उद्योग निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 16 जून, 2011

विषयः **वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद् को सहायता योजनान्तर्गत धनराशि स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद को सहायता योजनान्तर्गत **₹ 100.00 लाख (₹ एक करोड़ मात्र)** की धनराशि व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर इस आशय से स्वीकृत की जा रही है कि व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिससे व्यय करने पर बजट मैनुअल अथवा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 31 मार्च 2011 के अनुसार सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) करते हुए की जायेगी। अगली किश्त की धनराशि का व्यय तभी किया जायेगा जब पिछली किश्त का पूर्ण उपयोग करते हुए प्रशासनिक विभाग/वित्त विभाग को अवगत करा दिया जायेगा।

4– वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल की अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा, तथा प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा, यदि नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के आधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांकः 31.03.2012 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांकः 31.03.2012 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

6– यदि स्वीकृत धनराशि से कोई उपकरण/फर्नीचर का क्रय किया जाता है तो उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में इंगित शर्तो के अधीन किया जायेगा।

7– कम्प्यूटर क्रय हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखण्ड के दिशा–निर्देशों/ शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

8– धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त मद में गत वर्ष स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है।

9– स्वतः रोजगार योजनाओं हेतु लाभार्थियों के चयन हेतु एक निश्चित मापदण्ड निर्धारित किया जाये, एवं इसी के अनुरूप चयन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। लाभार्थियों के चयन के उपरान्त यथासम्भव एक माह के भीतर अनुदान की धनराशि का भुगतान सुनिश्चत किया जाये। अनुदान के भुगतान में किसी भी दशा में अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जायेगा।

10– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीषर्क, 2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 105–खादी ग्रामोद्योग, 00–आयोजनागत, 03–खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता–00–, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

11– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्याः173/XXVII(2)/2011 दिनांक 02 जून, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1421(1)/VII-II-11/493–उद्योग/2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर सचिव, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन ।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–2
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अनु सचिव।